न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 05/2021

प्रार्थी

(1) दलपतसिंह पुत्र खेतसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी–नून, तह. व जिला–सिरोही
(2) केशरसिंह पुत्र हरिसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी–नून, तह. व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) शंकर पुत्र जोराजी, जाति–रेबारी, निवासी–नून, तहसील व जिला–सिरोही
(2) उनाराम गोदीपुत्र उकाजी, जाति–रेबारी, निवासी–नून, तहसील व जिला–सिरोही
(3) श्रीमती ऐजीदेवी पुत्री उकाजी, पत्नी कानारामजी, जाति–रेबारी, निवासी–नून, हाल निवासी– नवारा, तहसील व जिला– सिरोही
(4) श्रीमती अनुदेवी पुत्री उकाजी, पत्नी गोकुलरामजी, जाति–रेबारी, निवासी–नून, हाल निवासी–वलदरा, तहसील व जिला– सिरोही
(5) श्रीमती तलसी पत्नी उकाजी, जाति–रेबारी, निवासी–नून, तहसील व जिला–सिरोही
(6) जगदीश पुरोहित पुत्र शिवरामजी उर्फ सवदानजी, जाति– पुरोहित, निवासी– नून, तहसील व जिला सिरोही
(7) ग्राम पंचायत, फुंगणी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, फुगणी, तह. व जिला सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, प्रार्थी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 10 जनवरी, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा श्री शंकर पुत्र जोराजी रेबारी व उकाजी पुत्र सोपाजी रेबारी, निवासी– नून के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1)(ख) के तहत क्षेत्रफल 7617.50 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 20.12.2009 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या– 6 को नोटिस की पंजीकृत डाक से तामिल होने व अप्रार्थी संख्या– 7 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुराणा ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत फुगणी द्वारा अप्रार्थी शंकर एंव अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पूर्वरसाधिकारी उकाजी पुत्र सोपाजी, जाति– रेबारी, निवासी नून के हक में पटटा सख्या 34 दिनांक 20.12.2009 को 7617.50 वर्गफीट नाप का जारी करने में गम्भीर कानूनी एव तथ्यात्मक त्रुटी की है। यह कि ग्राम पंचायत फुंगणी ने उक्त पट्टा जारी करने के पूर्व राजस्थान पंचायती राज अ[illegible] 1994 के प्रावधानों एवं नियमो की पूर्णतया अनदेखी कर यह प[illegible] है [illegible]या काबिल निरस्त के है। यह कि ग्राम पंचायत, फु[illegible] राजस्थान पंचायंती राज अधिनियम के [illegible]ज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:57 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

नियम 157 (ख) के तहत जारी करना पट्टे मे दर्शाया है। उक्त पटटा मात्र 260/— रुपये मे ग्राम पंचायत, फुंगणी ने अप्रार्थी शंकर व अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पूर्वरसाधिकारी उकाजी के हक में जारी किया है। यह कि राजस्थान पचांयती राज नियम, 1996 के नियम 157 (ख) के अन्तर्गत अधिकतम 1350 वर्गफीट भूमि पर निर्मित मकान का ही पट्टा जारी करने का प्रावधान है, इसमें खुली भूमि (Open Land) का पट्टा जारी करने का प्रावधान नही है, जबकि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा पट्टा संख्या 34 दिनांक 20.12.2009 को अप्रार्थी शकर पुत्र जोराजी रेबारी व उकाजी पुत्र सोपाजी रेबारी, निवासी— नून के पक्ष में खुली भूमि (Open Land) क्षेत्रफल 7617.50 वर्गफीट का जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि को भी प्रश्नगत पटटे की भूमि में सम्मिलित करते हुये पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी शंकर पुत्र जोराजी रेबारी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पूर्व रसाधिकारी उकाजी पुत्र सोपाजी रेबारी का प्रश्नगत पट्टा संख्या 34 की भूमि पर कभी भी पुराना कब्जा नही रहा है एवं न ही उस पर इनका आवासीय मकान बना हुआ था। ग्राम पंचायत, फुंगणी को कृषि भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त पटटे की कोई मिसल ग्राम पंचायत में बनी हुई नहीं है। पट्टे में वर्णित भूमि की चतुदर्शी पट्टे में गलत अंकित की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे में जो चतुदर्शी दर्शित की गई है उस चतुर्दर्शी का कोई भुखण्ड मौके पर अस्तित्व में नहीं है। पट्टा जारी करते समय प्रश्नगत भुखण्ड पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया हुआ नही था एवं नही उक्त भूमि पर अप्रार्थी शंकर एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पूर्वरसाधिकारी उकाजी का कब्जा आधिपत्य था। ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत फुगणी को आलोच्य पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नही था। पट्टाधारक अप्रार्थी शंकर एवं पट्टाधारक उकाजी के वारिसान अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 ने उक्त भूमि का विक्रय विलेख कागजो में अप्रार्थी संख्या 6 जगदीश पुरोहित के हक में अवैध रूप से निष्पादित किया है। उक्त विक्रय विलेख में भी अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने यह स्पष्ट अंकित किया है, उक्त भुखण्ड पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया हुआ नही है तथा भूखण्ड मौके पर open land है। ग्राम पंचायत, फुंगणी के तत्कालीन सरपंच व सचिव प्रश्नगत पटटे में वर्णित भूमि को निलामी के जरिये विक्रय करते तो ग्राम पंचायत फुंगणी को भारी आय होती है, लेकिन ग्राम पंचायत, फुंगणी ने अप्रार्थी शंकर एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पूर्वरसाधिकारी को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आलौच्य पटटा अवैध रुप से जारी किया है। उक्त पटटा जारी करने के पूर्व ग्राम पंचायत, फुंगणी ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। ग्राम पंचायत, फुंगणी ने उक्त पटटे शुदा भूमि को मात्र 260/— रुपये में विक्रय की है। उक्त भूमि पर कभी भी अप्राथी शंकर या उकाजी का कब्जा आधिपत्य नही रहा है। यह कि ग्राम पंचायत फुंगणी के पूर्व सरपंच एवं ग्राम सचिव एवं पदेन सचिव द्वारा नियम विरुद्ध जारी किये गये पट्टो के सम्बन्ध में निगरानी आवेदन प्रस्तुत किये जाने का आदेश जिला परिषद्, सिरोही द्वारा दिनांक 21.10.2011 को जारी किया गया है। उक्त आदेश में क्रम संख्या 17 पर प्रश्नगत पटटे को भी निरस्त करने का आदेश पारित हुआ है। नियमो की अवहेलना करते हुये उक्त पटटा जारी करने वाले सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही करना प्रस्तावित किया है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने तथाकथित प्रश्नगत पट्टे की भूमि को दिनांक 02.9.2020 को अप्रार्थी जगदीश पुत्र शिवरामजी उर्फ सवदानजी पुरोहित, निवासी—नून को रुपये 11,42,000/— में बेचान की है जिससे यह भली भांति प्रकट है कि ग्राम पंचायत, फुगंणी के तत्कालीन सरपंच [illegible] ने भारी वित्तिय अनियमिता कर आलौच्य पटटा जारी किया [illegible] नियम, 1996 के नियम 157(ख) के अन्तर्गत इतनी ज्यादा नाप की [illegible] भूमि (open land) का पट्टा जारी

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:57 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

करने का अधिकार किसी भी रुप से नही है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी शंकर जी व अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पूर्व रसाधिकारी उकाजी के पक्ष में जारी पट्‌टा संख्या 34 दिनांक 20.12.2009 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी सख्या 1 (शंकर) एवं अप्रार्थी सख्या 2 से 5 के पूर्व रसाधिकारी उकाजी पुत्र सोपाजी, जाति–रेबारी, निवासी–नून के पक्ष में हक में पट्टा संख्या 34 दिनाक 20.12.2009 को 7617.50 वर्गफीट नाप का सही एवं विधिपूर्ण प्रक्रिया अपनाकर जर्जर केलुपोश मकानात पुश्तैनी हक स्वामित्व मानते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र दिनांक 20.1.2009 के अनुरूप पंचायत बैठक के प्रस्ताव संख्या 01 दिनाक 20.01.2009 आवेदन रसीद संख्या 101 एवं निरीक्षण कमेटी गठन व आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस मय गवाह बयान तथा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.2.2009 एवं आक्षेप आमंत्रित नोटिस सख्या 18 दिनांक 05.2.2009 निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण मौका स्थिति दिनाक 10.2.2009 तथा प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 06.4.2009 में अन्तिम निर्णय करते हुए पट्‌टे में वर्णित नाप व चतुदर्शी अनुसार पट्टा नियमानुसार शुल्क लेकर अप्रार्थी शंकर एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पूर्व रसाधिकारी उकाजी पुत्र सोपाजी के हक में जारी किया गया। ग्राम पंचायत, फुगणी ने पट्टा सख्या 34 मिसल दायर कर विधिवत प्रक्रिया अपनाकर मौके की जांच कर पुराना पुश्तैनी मकानात कब्जा बतौर साक्ष्य प्रमाणित मानते हुए आपत्ति सूचना अडौस–पडौस के एक माह बाद नियमानुसार उक्त पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, फुगणी ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों एवं नियमों के तहत ग्राम पचायत में आवेदन अनुरूप बैटक प्रस्ताव निरीक्षण कमेटी, आपत्ति सूचनाएं, स्वतन्त्र व्यक्तियों के बयान एवं बाद मौका जांच सम्पूर्ण मिसल का भलीभांति अवलोकन एवं निरीक्षण कर विधिक प्रक्रिया अनुरूप उक्त पट्‌टा सख्या 34 दिनाक 20.12.2009 को जारी किया गया है। पंचायत की मिसल/पत्रावली का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियमों की अनदेखी नही की गई है। ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा पुराने रहवासी केलूपोश मकानात कब्जा बतौर मौका जाँच मय सम्पूर्ण मिसल पत्रावली में स्पष्ट होने से ही पुराने गृह विनियमितिकरण के तहत उक्त पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है तथा पुराना 50 वर्षों के केलुपोश मकान के प्रमाणीकरण के तहत एवं अधिनियम की धारा 157 (ख) के आधार पर 260/–. रूपये में ग्राम पंचायत, फुंगणी ने अप्रार्थी शंकर व अप्रार्थी सख्या 2 से 5 के पूर्व रसाधिकारी उकाजी के हक में उक्त पट्टा जारी किया है जो सही एवं रेकर्ड पत्रावली मय मौका जांच अनुरूप संबंधित नियमों व प्रावधान के अर्न्तगत पट्टा संख्या 34 मय वर्णित नाप व चतुर्दशी का जारी किया गया है, जो विधि अनुरुप है। तत्समय प्रभावी, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के अर्न्तगत अधिसूचना दिनांक 11.2.2013 के पहले 50 वर्षो के दौरान निर्मित पुराने आवासीय गृहों के पट्‌टे जारी करने के लिये अधिकतम क्षेत्रफल निर्धारित नही था। उक्त पट्टा संख्या 34 ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी शंकर व उकाजी के दोनों परिवारों के संयुक्त शामलाती केलुपोश मकानात मय भेड बकरियों के पुराने टीनशेड़ो के कब्जे व निर्माण अनुरूप जारी किया गया है जो कानूनन सही जारी किया गया है। यह कि प्रार्थीगण का उक्त पट्टा शुदा भूमि से कोई लेना देना नहीं है उक्त पट्टा शुदा भूमि न तो प्रार्थीगण की कृषि भूमि है एवं न ही कृषि भूमि को प्रश्नगत पट्टे की भूमि में सम्मिलित किया है। उक्त पट्टा शुदा भूमि पर अप्रार्थी शंकर व अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पूर्व रसाधिकारी उकाजी मय परिवार का [illegible] केलुपोश मकानात मय भेड़ बकरीयों के टीनशेड निर्माण के 50 वर्षों से अधिक समय से पुराना होने से विधिवत

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:57 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

प्रक्रिया अपनाकर जारी किया है। इस प्रकार, प्रार्थी की इस प्रकरण में कोई locus standi नही है। उक्त पट्टेशुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के निर्मित मकान व निर्माण 50 वर्षों से अधिक पुराना था तथा जर्जर अवस्था में था जिसके लिए दिनांक 18.12.2006 को पुनः निर्माण स्वीकृति के लिए ग्राम पंचायत, फुंगणी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिससे पट्टाधारक अप्रार्थी शंकर एवं पट्टाधारक उकाजी के वारिसान ने उक्त भूमि का विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या 6 (जगदीश पुरोहित) को नियमानुसार सही रुप से निष्पादित किया तथा अप्रार्थी सख्या 6 ने उक्त पट्टा वर्णित भाग पर पुराने जर्जर केलुपोश मकानात को गिराकर समतल किया है जिसका मलबा आज भी पड़ा है। चूंकि उक्त पट्टेशुदा भूमि पर अप्रार्थी शंकर व उकाजी के पुश्तैनी केलूपोश मकानात व कब्जा 50 वर्ष से अधिक समय से था तथा प्रश्नगत पट्टे की भूमि व उस पर बने हुए केलूपोश पुराने मकानात आदि अप्रार्थी शंकर व उकाजी के स्वामित्व, मालकी व पुराने कब्जे के थी इस कारण प्रश्नगत पट्टे के भूमि को नीलामी के द्वारा विक्रय किया जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है तथा न ही ग्राम पंचायत, फुंगणी को अप्रार्थी शंकर व उकाजी के स्वामित्व, मालकी व पुराने कब्जेशुदा मकान मय भूमि जो भेड बकरियां के पुराने टीनशेड की पुराने कब्जे शुदा भूमि को आम नीलामी से विक्रय करने का कोई कानूनन हक अधिकार नही है। यह कि प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में यह कथन किया है कि ग्राम पंचायत, फुगणी के पूर्व सरपंच एवं ग्राम सचिव एवं पदेन सचिव के विरूद्ध शिकायत अनुरूप पट्टो के सबंध में जांच करके निगरानी प्रस्तुत करने का जिला परिषद्, सिरोही द्वारा दिनांक 21.10.2021 को जारी किया था, जो अन्तिम आदेश नही था। जांच रिपोर्ट में क्रम संख्या 17 पर अंकित आक्षेप केवल मात्र पट्टे में क्षेत्रफल अंकित नही होने के संबंध में है, जबकि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा पट्टा जारी करने के संबंध में संधारित मिसल में नाप व क्षेत्रफल अंकित किया है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी शंकर पुत्र जोराजी रेबारी एवं उकाजी पुत्र सोपाजी रेबारी, निवासी– नून के पक्ष में तत्समय प्रभावी, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत क्षेत्रफल 7617.50 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 34 दिनांक 20.12.2009 को जारी किया गया है। वर्तमान में प्रभावी, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफ[illegible] नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मि[illegible] वारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही क[illegible] (i) के उप–खण्ड (ख)

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:57 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड़ (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान'' प्रतिस्थापित की गई है।

इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि ''राजस्थान पचांयती राज नियम, 1996 के नियम 157 (ख) के अन्तर्गत अधिकतम 1350 वर्गफीट भूमि पर निर्मित मकान का ही पट्टा जारी करने का प्रावधान है, इसमें खुली भूमि (Open Land) का पट्टा जारी करने का प्रावधान नही है, जबकि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा पट्टा संख्या 34 दिनांक 20.12.2009 को अप्रार्थी शकर पुत्र जोराजी रेबारी व उकाजी पुत्र सोपाजी रेबारी, निवासी– नून के पक्ष में खुली भूमि (Open Land) क्षेत्रफल 7617.50 वर्गफीट का जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि को भी प्रश्नगत पटटे की भूमि में सम्मिलित करते हुये पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी शंकर पुत्र जोराजी रेबारी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पूर्व रसाधिकारी उकाजी पुत्र सोपाजी रेबारी का प्रश्नगत पट्टा संख्या 34 की भूमि पर कभी भी पुराना कब्जा नही रहा है एवं न ही उस पर इनका आवासीय मकान बना हुआ था। ग्राम पंचायत, फुंगणी को कृषि भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।'' लेकिन प्रार्थीगण ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी शंकर पुत्र जोराजी रेबारी व उकाजी पुत्र सोपाजी रेबारी, निवासी– नून के पक्ष में प्रार्थीगण की कृषि भूमि का पट्टा जारी किया गया हो। प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 202003328100723 दिनांक 02.9.2020 (जो अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा अप्रार्थी संख्या–6 के पक्ष में निष्पादित किया गया है) की छाया प्रति प्रति प्रस्तुत की है, इस विक्रय विलेख में पट्टा संख्या 34 दिनांक 20.12.2009 की भूमि आवासीय भूखण्ड़ होना अंकित किया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफस् के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर केलूपोश कच्चा मकान बना हुआ था, जिसके ढही हुई दीवारों के अवशेष फोटोग्राफस् में दिखाई दे रहे है। प्रार्थीगण ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि पट्टा संख्या 34 दिनांक 20.12.2009 को जारी करने से पूर्व इस पट्टेशुदा भूमि के मौके पर सम्पूर्ण भूखण्ड़ खुला भूखण्ड़ हो। यह भी संभव है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि में केलूपोश कच्चा मकान बना हुआ हो जो जर्जर होकर ढह गया हो, जिसके दिवारों के अवशेष उक्त फोटोग्राफस् में दिखाई दे रहे है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पट्टा संख्या 34 के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 7617.5 वर्गफीट भूमि पर केलूपोश मकान बना हुआ प्रतीत नही होता है, इन फोटोग्राफस् में अधिकांश भूमि खुली भूमि (Open Land) दिखाई दे रही है, जिसके चारों ओर परकोटे का निर्माण किया हुआ प्रतीत हो रहा है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तत्समय प्रभावी, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के अर्न्तगत ये नियम लागू होने की तिथि के 50 वर्षो के दौरान निर्मित पुराने मकानों के पट्टे जारी किये जाने का प्रावधान था, लेकिन तत्समय प्रभावी, नियम 157(ख) में अधिकतम क्षेत्रफल की सीमा निर्धारित की हुई नही थी। इस नियम 157(ख) के तहत ये नियम लागू होने के 50 वर्षो के दौरान निर्मित पुराने मकानों के ही पट्टे [illegible] मकान के साथ खुली भूमि का पट्टा जारी नही किया जा सकता [illegible] र्तमान में प्रभावी, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम [illegible] 31 दिसम्बर, 2016 के

.....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:57 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *
सत्यमेव जयते

ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के पट्टे जारी किये जाने का प्रावधान है, जिसमें अधिकतम 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट भूमि तक का पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत निर्मित पुराने मकान व आवासीय उपयोग में आने वाली भूमि जिसका अधिकतम क्षेत्रफल 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट हो, तक का पट्टा इस नियम 157(1)(i)(ख) में वर्णित राशि वसूल कर जारी किया जा सकता है तथा 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के लिये राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1)(ii) में वर्णित राशि वसूल कर पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 20.12.2009 को निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत, फुंगणी को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के तहत परीक्षण कर पुनः नियमानुसार पट्टा जारी करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं आंशिक रुप से साबित होने से आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा शंकर पुत्र जोराजी रेबारी व उकाजी पुत्र सोपाजी रेबारी, निवासी– रेबारी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 20.12.2009 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, फुंगणी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, फुंगणी प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके अप्रार्थी संख्या– 1 से 6 को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पुनः परीक्षण कर विधि सम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10 जनवरी, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:57 IST
Reason: SelfAttested